प्रेस नोट

दिनाँक 18.10.2025

जनपद-संतकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वार दबिश के दौरान 02 वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. राधेश्याम पुत्र रामप्यारे निवासी सिक्टौर, 02. भागीरथी पुत्र हीतू निवासी तुलसीपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी, हे0का0 मुरली मनोहर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 326 वाहनों से 3,60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 326 वाहनों से 3,60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.10.2025 को मा0न्यायालय सीजे (जे0डी0) एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

घटना विवरणः-

दिनाँक 18.03.2005 को वादी श्री चक्रधर शुक्ला पुत्र रामकवल शुक्ला निवासी शनिचरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार शुक्ला पुत्र शिवमूरत शुक्ला 2. विनोद कुमार पुत्र शिवमूरत शुक्ला निवासीगण शनिचरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट, गाली-गलौज करने के सम्बन्ध मे थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 37/2005 धारा 323, 325, 506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण अशोक कुमार शुक्ला व विनोद कुमार को धारा -323, 504, 506 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस के सादा कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25000 रु0 के निजी बन्ध पत्र से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 18.10.2025 को मा0 न्यायालय- विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25000 रु0 के निजी बन्ध पत्र से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक- 23.12.2000 को वादी रामकरन पुत्र स्वामीनाथ हरिजन निवासी चेरापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पर अभियुक्तगण नाम पता 1. मोतीलाल पुत्र लोचन 2. रामबिलास पुत्र मोतीलाल 3. दीनानाथ पुत्र मोतीलाल निवासीगण चेरापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 267ए/2000 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि अभियुक्तगण उपरोक्त को 01-01 साल की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए मु0-25000-25000/-रुपये के निजी बंध-पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से सात दिवस के अन्दर निष्पादित करेंगे तथा इस आशय की सूचना मा0 न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा परिवीक्षा अधिनियम की समय सीमा 01 वर्ष के अन्दर अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने पर इस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्तगण को तलब कर उन्हे दण्डादेश के बिन्दू पर सुनकर उनके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करें और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।